

# मैनुअल-15

सूचना प्राप्त करने के लिए नागरिकों को उपलब्ध सुविधाओं का विवरण विशिष्ट सूचनाओं के अतिरिक्त विभागी की सामान्य जानकारी **e-mode** में भी उपलब्ध है। विभाग के विषय में निम्नलिखित बैवसाइट्स पर सामान्य सूचनायें प्राप्त की जा सकती हैं:-

- 1. [www.gov.ua.in /school education](http://www.gov.ua.in/school education)**
- 2. [ua.uttara.in](http://ua.uttara.in)**
- 3. [www.gov.ua.nic.in/school education/diet](http://www.gov.ua.nic.in/school education/diet)**

प्रतिवर्ष विभागीय प्रगति के माध्यम से कार्यक्रम की प्रगति भी जन सामान्य को उपलब्ध कराई जाती है।

पुस्तकालय के द्वारा—

उत्तरांचल में 8 जिला पुस्तकाल, 16 शाखा पुस्तकालय एवं 17 सार्वजनिक पुस्तकालयों के माध्यम से सूचना जनसामान्य तक पहुंचाने की व्यवस्था की गयी है। उक्त 8 राजकीय जिला पुस्तकालय निम्नलिखित जनपदों में हैं—

देहरादून, पिथौरागढ़, टिहरी, उत्तरकाशी, गोपेश्वर, पौड़ी, नैनीताल, अल्मोड़ा में संचालित हैं।

समाचार पत्रों के द्वारा—

समय समय पर समाचार पत्रों के माध्यम से लोक हित में विभिन्न सूचनाओं को जनसामान्य तक पहुंचाने का प्रयास किया जाता है। नाटक/नुक्कड़- विद्यालयों में विभिन्न प्रतियोगिताओं के द्वारा सामाजिक चेतना एवं विभागीय प्रयासों को नाटक के माध्यम से प्रचारित किया जाता है। विभिन्न सामाजिक/सांस्कृतिक त्यौहारों पर प्रदर्शनी आदि के माध्यम से शिक्षा के विभिन्न कार्यक्रमों को जनसभा तक पहुंचाने का कार्य किया जाता है।

प्रदर्शनी के द्वारा—

सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के अन्तर्गत एवं अन्य जनोपयोगी सूचनाओं का प्रकटन निदेशालय एवं अधीनस्थ कार्यालयों एवं विद्यालयों के स्तर पर सूचना पटों के द्वारा यथासम्भव अधिकतम सीमा तक अद्यतन प्रस्तुत किये जाने का प्रयास किया जाता है।

सूचना पटों के द्वारा—

अभिलेखों के अवलोकन  
द्वारा—

दस्तावेजों की प्रति प्राप्त  
करने की व्यवस्था द्वारा—

उपलब्ध विभागीय मैनुअल्स सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 4  
द्वारा—  
लोक प्राधिकारी के अन्तर्गत तैयार किये गये 17 बिन्दुओं पर<sup>1</sup>  
उपलब्ध मैनुअल्स के निःशुल्क अवलोकन द्वारा ऐसे किसी  
भी लोक प्राधिकारी के कार्यालय में, जहाँ उक्त 17  
मैनुअल्स की प्रति उपलब्ध हों, कर सकता है।

लोक प्राधिकारी

(विद्यालयी शिक्षा विभाग)  
की बैवसाइट द्वारा—

अन्य प्रचार प्रसार के  
साधन द्वारा—

सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के  
उपबन्धों के अधीन अनुरोध कर्ता वांछित  
अभिलेखों / पत्रावलियों का अवलोकन कर  
सकता है।

सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के  
उपबन्धों के अधीन अनुरोध कर्ता वांछित  
अभिलेखों / पत्रावलियों / दस्तावेजों के प्रति निर्धारित<sup>2</sup>  
शुल्क का भुगतान कर प्राप्त कर सकता है।

सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 4  
के अन्तर्गत तैयार किये गये मैनुअल संख्या 15  
में विभाग की एवं सम्बन्धित बैवसाइट का विवरण उपलब्ध  
कराया गया है।

विद्यालयी शिक्षा विभाग द्वारा जनहित, छात्र-  
छात्राओं एवं अभिवावकों आदि के हित में समय  
समय पर प्रेस रिलीज, विज्ञापन, विज्ञप्तियों, वार्षिक  
आख्यायें, फोल्डर्स, हस्तपुस्तिकायें, प्रगति प्रतिवेदन, शैक्षिक  
डायरी इत्यादि द्वारा उपलब्ध कराया जाना यथा सम्भव  
सुनिश्चित किया जाता है।

